

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक:- एफ.8(2)(8)/निर्वा./2013/7712

जयपुर, दिनांक 2-11-2013

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर्स) राजस्थान।


विषय:- विधानसभा आम चुनाव, 2013- अधिग्रहीत निजी वाहन फुलबॉडी/हॉफबॉडी ट्रकों के किराया भुगतान एवं POL के निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 4078 दिनांक 26.08.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रासंगिक आदेश के क्रम में निजी वाहन फुलबॉडी/हॉफबॉडी ट्रकों के अधिग्रहण करने पर किराये की दर रु.900/- प्रति दिवस की दर से भुगतान किए जाने की एवं पी.ओ.एल. की दर 3 किमी./प्रति लीटर निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 331300820 दिनांक 01.11.2013 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

भवदीय,



(पी.सी.गुप्ता)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.8(2)(8)/निर्वा./2013/7712

जयपुर, दिनांक 2-11-2013

- प्रतिलिपि:- 1.संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 331300820 दिनांक 01.11.2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण।


वित्तीय सलाहकार,
निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर